भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2636
जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

पीएमजेडीवाई खाताधारकों को संवितरित ऋण

2636. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खाता धारकों को संवितरित किए गए संस्थागत ऋण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹0 से ₹50,000, ₹50,000 से ₹1,00,000 आदि के रूप में वर्गीकृत, जमा राशि के किये गए संवितरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान निष्क्रिय रहे पीएमजेडीवाई खातों की संख्या कितनी है और उनका जमा राशि श्रेणी-वार, स्त्री-पुरुष वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निष्क्रिय खातों की समस्या से निपटने तथा पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खुला खाता एक बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता होता है जिसे किसी भी बैंक शाखा में खोला जा सकता है। इन खातों को खुलवाने हेतु कोई शुल्क नहीं लगता है और न्यूनतम जमा राशि की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 25.07.2025 तक 2,61,982 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ कुल 55.98 करोड़ खाते खोले गए हैं। उपर्युक्त में से 31.24 करोड़ (55.8%) जन-धन खाते महिलाओं से संबंधित हैं। मार्च 2025 तक कुल 35,99,662 पीएमजेडीवाई खाताधारकों ने 393.02 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा का लाभ उठाया है।

ओडी के अतिरिक्त, पात्र लाभार्थी अपने पीएमजेडीवाई खातों में विभिन्न सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकते हैं। वे बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रेडिट उत्पादों के तहत और साथ ही प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि आदि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बैंकों से संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, पीएमजेडीवाई खाताधारकों को प्रदान किए गए ऐसे संस्थागत ऋण संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि का लिंग-वार व्यौरा अनुबंध-I के अनुसार है और पिछले पांच वर्षों के लिए निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों के आंकड़े, लिंग-वार, अनुबंध-II के अनुसार हैं।

(**घ**): सरकार निष्क्रिय खातों को चालू करवाने सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत संवर्धन और नामांकन के लिए समय-समय पर विभिन्न विशिष्ट अभियान चलाती है । हाल ही में, देश भर में 01.07.2025 से 30.09.2025 तक एक ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसमें "निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों" सहित सभी खाताधारकों (जहां देय हो) का दोबारा-केवाईसी करवाना अभियान की प्रमुख केंद्रित गतिविधियों में से एक है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा और जवाबदेहीपूर्ण उधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए "गोइंग डिजिटल" और "टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक" जैसे अभियानों के जरिए वित्तीय जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। वित्तीय और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए, कई पहलें की गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा के लिए समुदाय नेतृत्व-आधारित और भागीदारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 से वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना शुरू की, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक पूरे भारत में 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बैंक शाखाएं प्रमुख वित्तीय विषयों पर मासिक शिविर आयोजित करती हैं, और वर्ष 2016 से, राष्ट्रव्यापी वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक रुप से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है।

बैंक नियमित रूप से गांवों, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर भी आयोजित करते हैं ताकि विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्ध उत्पादों के संबंध में एसएमएस/ईमेल के जरिये ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और नकद लेनदेन के बजाय सुरक्षित डिजिटल भुगतान सहित संस्थागत ऋण के बारे में शिक्षित किया जा सके।

दिनांक 12.08.2025 को पूछे जानेवाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2636 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध-I						
पिछले पांच वर्षों में पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि का लिंग-वार ब्यौरा						
निम्नानुसार स्थिति के अनुसार	महिला (करोड़ ₹ में)			पुरुष (करोड़ ₹ में)		
	2,500 रुपये से कम	2,500 रुपये से 25,000 रुपये के बीच	25,000 रुपये से अधिक	2,500 रुपये से कम	2,500 रुपये से 25,000 रुपये के बीच	25,000 रुपये से अधिक
मार्च 2021	18.52	4.21	0.63	16.00	2.35	0.46
मार्च 2022	19.83	4.47	0.76	16.89	2.55	0.52
मार्च 2023	20.86	5.21	0.96	17.95	2.99	0.65
मार्च 2024	21.59	5.94	1.25	18.73	3.32	0.90
मार्च 2025	22.86	6.47	1.30	20.04	3.43	0.85

दिनांक 12.08.2025 को पूछे जानेवाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2636 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध-II					
पिछले पांच वर्षों में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत निष्क्रिय खातों और जमा राशियों का लिंग-वार ब्यौरा					
निम्नानुसार स्थिति के अनुसार	पीएमजेडीवाई खाते (करोड़ ₹ में))				
	कुल	महिला	पुरुष	जमा	निष्क्रिय खाते
मार्च 2021	42.2	23.38	18.82	1,45,551	5.94
मार्च 2022	45.06	25.08	19.98	1,66,459	6.57
मार्च 2023	48.65	27.05	21.60	1,98,844	9.45
मार्च 2024	51.95	28.90	23.05	2,32,502	10.21
मार्च 2025	55.18	30.75	24.43	2,60,387	11.94

*निष्क्रिय खातों के संबंध में रेंज-वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।